

**मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि० भोपाल**  
(म.प्र.शासन का उपक्रम)  
**ऊर्जा भवन, मुख्य मार्ग कं 2, शिवाजी नगर, भोपाल-462016**

निविदा क्रमांक-ऊविनि/भवन रखरखाव/2018-19/4603

भोपाल दिनांक 21.02.2019

**निविदा आमंत्रण सूचना**

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के मुख्यालय 'ऊर्जा भवन' में स्थित सभी कक्षों, वॉशरूमों, कॉरीडोरों, छतों, बाह्य परिसर, खिड़की, दरवाजे एवं फर्नीचर की साफ सफाई हेतु अनुभवी व्यक्ति/संस्थाओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित हैं। निविदा दस्तावेज कार्यालयीन समय में दिनांक 06.03.2019 तक रूपये 2000/- (रूपये दो हजार) (वापसी योग्य नहीं) का नगद भुगतान जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा दस्तावेज दिनांक 07.03.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक स्वीकार्य की जावेगी एवं उसी दिन दोपहर 3.30 बजे निविदाकारताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्यालयीन दिवस में खोली जावेगी। निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाइट [mprenewable.nic.in](http://mprenewable.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को बिना किसी कारण का उल्लेख किये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

अधीक्षण यंत्री

**मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि० भोपाल**  
(म.प्र.शासन का उपक्रम)  
**ऊर्जा भवन, मुख्य मार्ग कं 2, शिवाजी नगर, भोपाल-462016**

निविदा क्रमांक:-ऊविनि/भवन रखरखाव/2018-19/4603 भोपाल, दिनांक 21.02.2019

**निविदा प्रपत्र**

कार्य :- ऊर्जा विकास निगम के मुख्यालय ऊर्जा भवन के साफ सफाई का कार्य  
निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 2000/-

“ऊर्जा भवन” मुख्यालय की साफ सफाई हेतु प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के संदर्भ में निविदा की शर्तानुसार धरोहर के रूप में राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..... दिनांक..... जो प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि० के नाम से भोपाल में देय है संलग्न है।

मेरे/हमारे द्वारा ऊर्जा भवन की साफ सफाई हेतु निविदा की शर्तों का अध्ययन किया गया है एवं मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं। निविदा पर हस्ताक्षर कर संलग्न प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर एवं सील : \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता का नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

दूरभाष : \_\_\_\_\_

मोबाईल नंबर : \_\_\_\_\_

ई-मेल :- : \_\_\_\_\_

## निविदाएं की शर्तें

- 1 निविदा दस्तावेज निगम के रखरखाव कक्ष में दिनांक 07.03.2019 तक दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं उसी दिन दोपहर 3.30 बजे निविदाकर्ता के समक्ष खोली जावेगी। निविदा स्वीकार करने एवं खोलने की तिथि को किसी कारणवश अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्यालयीन दिवस में उसी समय पर स्वीकार एवं खोली जावेगी।
- 2 निविदा के मूल दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता संस्था की सील एवं अधिकृत हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
- 3 निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेजों की छायाप्रति निविदाकर्ता संस्था के सील एवं अधिकृत हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
- 4 निविदा दस्तावेज दो भागों में है, प्रथम भाग का लिफाफा "अ" है जिसमें निविदा के मूल दस्तावेज (वित्तीय प्रस्ताव को छोड़कर), वांछनीय दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एवं धरोहर राशि (ई.एम.डी) का डिमांड ड्राफ्ट रखा जावेगा तथा लिफाफे के ऊपर निविदाकर्ता संस्था का नाम उल्लेखित करना होगा। निविदा के द्वितीय भाग का लिफाफा "ब" है जिसमें वित्तीय प्रस्ताव रखा जावेगा तथा लिफाफे के ऊपर निविदाकर्ता संस्था का नाम उल्लेखित करना होगा।
- 5 लिफाफा "अ" एवं "ब" को एक तीसरे मूल लिफाफे में रखा जावेगा जिस पर निविदा का क्रमांक, आमंत्रित की गई निविदा के कार्य का विवरण, निविदा जमा करने की तिथि एवं निविदाकर्ता संस्था का नाम एवं पता निविदाकर्ता द्वारा उल्लेखित करना होगा।
- 6 निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी निविदाकर्ताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सर्वप्रथम निविदाकर्ता का मूल तीसरा लिफाफा खोला जावेगा एवं उसके पश्चात निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिफाफा "अ" खोला जावेगा। निविदा की शर्तानुसार जो निविदाकर्ता सभी अर्हताएं पूर्ण करेंगे उनका लिफाफा "ब" (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जावेगा। जिन निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा की शर्तें या अर्हताएं पूर्ण नहीं की जावेगीं उन्हें अमान्य करते हुये उनके लिफाफा 'ब' (वित्तीय प्रस्ताव) नहीं खोले जावेगें।
- 7 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई निविदाएं मान्य नहीं की जावेगी। निविदा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित तिथि एवं समय पर भवन रखरखाव कक्ष में जमा करेंगे।
- 8 कोई भी निविदा डाक अथवा कोरियर, फैंक्स एवं ई-मेल से स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 9 निविदा प्रपत्र प्राप्त एवं खोलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त एवं खोली जावेगी। इसके लिये पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

- 10 निविदा में सफल निविदाकर्ता संस्था को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निविदाकर्ता संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति को रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निगम के निर्धारित प्रपत्र में निगम से अनुबंध करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता संस्था का प्राधिकृत व्यक्ति वहीं होगा जो निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।
- 11 अपूर्ण निविदा, निविदा प्रपत्र एवं दर सूची में किसी भी प्रकार की काट छांट, ओवर राईटिंग होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
- 12 आमंत्रित की गई निविदा काल अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक होगी, एक वर्ष पश्चात आवश्यकतानुसार निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्य की अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है, परंतु निविदा की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- 13 अनुबंधकर्ता इकाई के किसी भी कर्मचारी की कर्तव्य स्थल या कर्तव्य स्थल से बाहर दुर्घटना होने या मृत्यु होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि आदि देने की जिम्मेदारी म.प्र. ऊर्जा विकास निगम की नहीं होगी। उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता इकाई की होगी।

#### अर्हताएं :-

- 1 निविदाकर्ता /निविदाकर्ता संस्था को साफ –सफाई कार्य का शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में विगत 05 वर्ष के मैकेनाइज सफाई कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंधी संस्थाओं के कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2 निविदाकर्ता/निविदाकर्ता संस्था के पास सफाई कार्य हेतु वैक्यूम क्लीनर, ब्लोअर, सीढ़ी, स्टूल एवं सफाई के कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उनके संचालन हेतु अनुभवी कर्मियों का होना अनिवार्य है। ?
- 3 निविदाकर्ता/निविदाकर्ता संस्था को किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में साफ-सफाई (House Keeping) के कार्य हेतु संबंधित संस्था से प्राप्त एक कार्यादेश जिसका मूल्य रूपये 50.00 लाख प्रतिवर्ष हो की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4 सफल निविदाकर्ता जिन्हें कार्य आवंटित होगा के सफाई कर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। सफाई कर्मचारियों के लिये नीले रंग का हाउसकोट एवं नीले रंग की टोपी का यूनिफार्म धारण कर एवं उसके नाम की नाम पट्टिका एवं निविदाकर्ता फर्म का फोटोयुक्त परिचयपत्र धारण करना अनिवार्य होगा।
- 5 सफल निविदाकर्ता जिन्हें कार्य आवंटित होगा के सफाई कर्मियों की शारीरिक क्षमता इतनी होनी चाहिये कि वह सीढ़ी अथवा स्टूल पर चढ़कर ऊँची जगहों की एवं छत की व्यवस्थित साफ सफाई करने में सक्षम हों।

## भुगतान की शर्तें :-

- 1 निविदा की कार्य शर्तों एवं आवश्यकतानुसार भवन रखरखाव कक्ष द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन अनुबंधकर्ता इकाई को करना होगा। प्रत्येक माह की सफाई का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इकाई द्वारा प्रस्तुत देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के उपरांत देयक का भुगतान किया जावेगा। जिसमें जी.एस.टी. की राशि पृथक से दर्शाई जानी होगी।
- 2 निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान रेखांकित चैक द्वारा ही किया जावेगा। निगम द्वारा किसी भी प्रकार के बैंक शुल्क आदि वहन नहीं किये जावेंगे।
- 3 निविदाकर्ता इकाई को भुगतान देयक के साथ ई.पी.एफ. की ई.सी.आर., ई.एस.आई. एवं जी.एस.टी. जमा संबंधी प्रमाण, चालान आदि प्रस्तुत करना होगा।
- 4 किन्ही कारणों से यदि भुगतान में विलंब होता है तो निविदाकर्ता को किसी ब्याज या अन्य दावों की पात्रता नहीं होगी।
- 5 निविदाकर्ता से सभी वैधानिक/शासकीय शुल्कों की कटौती करनी हो तो वो नियमानुसार की जावेगी।
- 6 निविदाकर्ता को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमित आयकर कटौती एवं जी.एस.टी. की कटौती नियमानुसार निगम द्वारा की जाकर उसका कटौती प्रमाणपत्र निविदाकर्ता के पक्ष में जारी किया जावेगा।
- 7 निविदाकर्ता द्वारा साफ सफाई हेतु प्रतिमाह प्रस्तुत की जाने वाली दरों में केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी प्रकार के शुल्क एवं कर इत्यादि सम्मिलित होने चाहिये। निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान ऊर्जा विकास निगम द्वारा अनुबंधकर्ता इकाई को नहीं किया जावेगा।
- 8 निविदाकर्ता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

\*\*\*\*\*

## निविदा के कार्यों की शर्तें

- 1 अनुबंधकर्ता इकाई को ऊर्जा भवन के साफ-सफाई कार्यों हेतु नियमित रूप से छह कर्मियों की सेवा उपलब्ध करानी होगी, जिनमें दो महिला कर्मी होना अनिवार्य है।
- 2 सफाई कर्मियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज कराई जावेगी।
- 3 अनुबंधकर्ता इकाई को साफ सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले कर्मियों की सूचना भवन रखरखाव कक्ष में देना अनिवार्य होगी। कोई भी सफाई कर्मी संदेहास्पद चरित्र का नहीं होना चाहिये।
- 4 अनुबंधकर्ता इकाई को पर्याप्त सफाई कर्मचारी प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यालय में रखने होंगे। नियुक्त सफाई कर्मचारियों का निगम से कोई सीधा भुगतान नहीं होगा एवं सफाई कर्मियों का कोई वैधानिक या अन्य किसी प्रकार का दायित्व निगम का नहीं रहेगा।
- 5 साफ सफाई कार्य संलग्न अनुसूची "अ, ब, एवं स" में दर्शित कार्यों को प्रतिदिन/प्रति सप्ताह, पाक्षिक रूप से करना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिनों में भी साफ सफाई कार्य किया जाना होगा।
- 6 साफ सफाई कार्य हेतु निविदा की अनुसूची "अ, ब, एवं स" में दर्शित कार्यों को संपादित किये जाने हेतु उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियाँ जो अनुसूची "द" में उल्लेखित है की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
- 7 साफ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जिसका उल्लेख अनुसूची "द" में है की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता के कारण सफाई की गुणवत्ता प्रभावित होने पर निविदाकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उस दिन तक का लंबित भुगतान एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 8 आपातकालीन स्थिति अथवा किसी विशेष आयोजन पर भवन रखरखाव कक्ष द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु दिये गये निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
- 9 शासकीय अवकाश एवं रविवार के दिन कमरे, हॉल इत्यादि को छोड़कर शेष सभी जगहों की साफ-सफाई अनुसूची "अ,ब, स" के अनुसार होगी।
- 10 निविदा की अनुसूची "अ,ब,स" में दर्शित कार्यों को संपादित किये जाने हेतु निविदाकर्ता को पर्याप्त सफाई कर्मी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 11 ऊर्जा भवन में स्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कक्षों की साफ-सफाई का कार्य प्रातः 10.30 बजे के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा ताकि कार्यालय का संचालन निर्धारित समय पर प्रारंभ हो सके।
- 12 साफ-सफाई कार्य हेतु अनुसूची "द" में दर्शित सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता एवं पर्याप्त सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व अनुबंधकर्ता इकाई का होगा। सामग्री की कमी से सफाई की गुणवत्ता प्रभावित होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

- 13 शिकायत पुस्तिका भवन रखरखाव कक्ष में अनिवार्यतः रखा जाना होगा जो सप्ताह के अंत में प्रभारी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
- 14 भवन की उचित साफ सफाई ना होने, किसी अधिकारी की शिकायत आने, निरीक्षण में लापरवाही, अथवा अन्य कोई अनियमितताएं एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रति प्रकरण रूपये 500/- तक का आर्थिक दण्ड अनुबंधकर्ता इकाई पर करने का अधिकार ऊर्जा विकास निगम को होगा, जिसका कटौती मासिक देयक में से की जावेगी।
- 15 पूर्ण सफाई का कचरा नगर निगम/ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर बिना फैलाये हुये सुरक्षित तरीके से ऊर्जा निगम परिसर के बाहर पहुंचाना होगा।
- 16 अनुबंधकर्ता इकाई द्वारा किया गया साफ सफाई संबंधी कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है अथवा स्वयं साफ सफाई करने में यदि असफल होते हैं तो प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा एवं निविदाकर्ता की धरोहर राशि भी राजसात कर ली जावेगी एवं नवीन अनुबंध से निगम को होने वाली क्षति की वसूली अनुबंधकर्ता इकाई से ही की जावेगी।
- 17 साफ-सफाई के कार्यों के संपादन में सफाई कर्मचारियों द्वारा यदि निगम की संपत्ति को कोई हानि पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता इकाई से की जावेगी।
- 18 अनुबंधकर्ता इकाई को प्रभारी अधिकारी के निर्देश पर यदाकदा निगम से संबद्ध अन्य कोई परिसर जहां साफ सफाई का कार्य किया जाना हो सकता है, की सफाई करनी होगी इसके लिये निगम द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं इस कार्य को संपादित करने में ऊर्जा भवन की नियमित साफ-सफाई भी प्रभावित नहीं होनी चाहिये।
- 19 ऊर्जा भवन में नियमित एवं सुचारु रूप से साफ सफाई कार्य जिसका उल्लेख अनुसूची "अ, ब, स" में है को संपादित कराने हेतु सफाई कर्मियों एवं सफाई हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री जिसका उल्लेख अनुसूची "द" में है के निर्धारण का संपूर्ण अधिकार ऊर्जा निगम को होगा जो अनुबंधकर्ता इकाई को मान्य होगा।
- 20 निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसके कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान मिनिमम वेजेस एक्ट के अन्तर्गत समय समय पर निर्धारित परिश्रमिक से कम नहीं होगा।
- 21 प्राप्त न्यूनतम दरों पर अन्य अर्हताएं या दरें इतनी कम हो कि कार्य संभव न हो तब प्राप्त निविदा प्रस्ताव को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को होगा और इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 22 विवाद की स्थिति में दोनो पक्ष, अनुबंधकर्ता अधिकारी एवं निविदाकर्ता आपस में विवाद के निपटारे का प्रयास करेंगे तथा प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्याययिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

\*\*\*\*\*

अनुसूची "अ"

प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य

क्रं	कार्य का विवरण	दिन में किये जाने वाले कार्य अवधि
1	समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष की झाड़ू से साफ सफाई फर्नीचर की डस्टिंग एवं फिनाइल से पोछा लगाया जाना	01 बार
2	भवन के अंदर सभी गलियारों, सीढ़ियों एवं बरांडा की झाड़ू से साफ-सफाई तथा फिनाईल से पोछा लगाया जाना	02 बार
3	परिसर में बने सभी प्रसाधन/टायलेटस, यूरिनल्स, वॉशवेसिन एवं जहां जहां टाईल्स लगी है कि हार्पिक , फिनाईल, एवं पानी से धुलाई एवं पौछा	04 बार
3	परिसर के समस्त टायलेटस में फिनाईल की गोलियां रखना	01 बार
4	प्रत्येक कमरे में रद्दी की टोकरी में डाले गये अनुपयोगी कागजों को हटाना	01 बार
5	अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, अपर प्रबंध संचालक, एवं निजी कक्ष में बने टॉयलेटस में नेपकीन एवं टॉयलेटस पेपर, हैण्ड वॉश रखा जाना	आवश्यकतानुसार
6	ऊर्जा भवन परिसर के बाहर की सड़को, पोर्च, पहुंच मार्ग एवं अन्य स्थल जहां बगीचा नहीं है एवं, नाली की सफाई	01 बार



प्रति सप्ताह किये जाने वाले कार्य

क्रं	कार्य का विवरण
1	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष के मकड़ी के जालों को हटाया जाना
2	भवन के दलान एवं कॉरीडोर, गलियारों एवं सीढ़ियों को डिटरजेंट एवं पानी से धोया जाना एवं पोछा लगाया जाना
3	समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष के खिडकी, दरवाजे एवं कांच की साफ सफाई दाग धब्बे हटाना केमिकल की मदद से साफ किया जाना
3	परिसर के बाहर की दीवारों ,शेडस के नीचे, बरामदे की छत की डस्टिंग एवं जहां जहां मकड़ी के जाले लगे हो हटाया जाना
4	समस्त कक्ष के फर्नीचर, अलमारी रैक्स की डस्टिंग एवं कोलीन एवं कपडे से साफ किया जाना
5	भवन के चारों तरफ दीवारों में बनी हुई नालियां एवं बाउन्ड्रीवॉल के पास बनी हुई नालियों की सफाई

प्रति पाक्षिक (प्रति 15 दिवस में ) किये जाने वाले कार्य

क्रं	कार्य का विवरण
1	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थित पर्दे, सोफे के धाग धब्बों की डस्टिंग वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ किया जाना एवं आवश्यकता पड़ने पर केमिकल की मदद से धाग धब्बे हटाना
2	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थापित कारपेट, फर्श अथवा अन्य किसी वस्तु की सफाई किया जाना हो तो उनके धाग धब्बों की डस्टिंग वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ किया जाना एवं आवश्यकता पड़ने पर केमिकल की मदद से धाग धब्बे हटाना।
3	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थापित पंखे, ट्यूब लाईट्स, बल्ब, प्वाइंट के होल्डर की साफ सफाई एवं धाग धब्बे हटाना।
4	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थित टायलेटस के नल की टॉटी, पानी के लिकेज आदि की सफाई।
5	ऊर्जा भवन परिसर के छत की झाड़ू से साफ सफाई एवं पानी से धुलाई

सामग्री की सूची

क्रं	सामग्री का विवरण	मात्रा प्रतिमाह
1	झाड़ू फूल एवं सींक वाली	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
2	मकड़ी के जाले निकालने वाली बड़ी झाड़ू	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
3	फिनाईल	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
4	ऐसिड	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
5	हार्पिक	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
6	डस्टर	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
7	पोछा	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
8	फिनाईल की गोलियां	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
9	कोलीन	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
10	वाशिंग पाउडर	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
11	अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, अपर प्रबंध संचालक एवं निजी टॉयलेटस में नेपकीन एवं टॉयलेटस पेपर	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
12	वैक्यूम क्लीनर, पर्याप्त बिजली के तार की लंबाई सहित	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
13	ब्लोवर, पर्याप्त बिजली के तार की लंबाई सहित	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
14	बाह्य परिसर की सफाई के लिये डंडे वाला झाड़ू	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
15	बाल्टीयां	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
16	तगाडीयां	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
17	फावड़ा	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
18	सीढ़ी एवं ऊंचा स्टूल रबर के गुटको के सहित	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
19	नाली साफ करने के समस्त औजार	पर्याप्त आवश्यकतानुसार

नोट:— उक्त सामग्रियों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सदैव ऊर्जा भवन परिसर में साफ सफाई के कार्यों को सुचारू रूप से गुणवत्ता अनुरूप संपादित करने हेतु उपलब्ध होनी चाहिये। सामग्री की कमी से सफाई की गुणवत्ता प्रभावित होने पर निविदा शर्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

## निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

कं	विवरण
1	इकाई का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
2	इकाई का स्थाई आयकर खाता संख्या की सत्यापित छायाप्रति
3	धरोहर राशि रूपये 30,000 /—(रूपये तीस हजार मात्र) का डिमांड ड्रॉफ्ट
4	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति

उपरोक्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति जो निविदाकर्ता संस्था की सील लगाकर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित हो संलग्न करना अनिवार्य है।

## म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि०

ऊर्जा भवन मुख्य मार्ग क्रं 2, शिवाजी नगर, भोपाल

### वित्तीय प्रस्ताव

क्रं	कार्य का विवरण	प्रतिमाह दर (समस्त करों सहित)
1	ऊर्जा भवन परिसर में साफ सफाई का कार्य जो निविदा की कार्य अनुसूची "अ, ब, स" एवं सफाई हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री जो अनुसूची "द" में उल्लेखित है एवं कार्य की शर्तों के अनुरूप प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक साफ-सफाई का संपूर्ण कार्य संपादित करने के लिये।	

उक्त समस्त कार्यों हेतु जिसमें सामग्री की कीमत, कर्मचारियों का पारिश्रमिक (मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत) एवं समस्त वैधानिक कर एवं ड्यूटी सम्मिलित है, उक्त दरें दी गई हैं एवं मुझे/इकाई को स्वीकार हैं।

भोपाल दिनांक

निविदाकर्ता का नाम .....

हस्ताक्षर .....

सील एवं दिनांक .....

पता :- .....

दूरभाष क्रमांक .....

मोबाईल नंबर .....